



सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE: कोचिन COCHIN

निवारक परिपत्र Preventive Circular No.06/2015

फा.सं. F.No. S.31 /82/ 2014 Pr.Cus.

तारीख Dated: 18.03.2015

विषय:- आईसीटीटी वल्लारपाडम केलिए अषीक्कल/कोलल/अन्य छोटे बंदरगाहों से/के लिए निर्यात/आयात कंटेनरों के गमनागमन के संबंध में जारी व्यापार सुविधा सं.24/2014 दिनांक 08.12.2014 और निवारक परिपत्र सं. 17/2014 दिनांक 21.11.2014 - संबंधित

Sub: - Trade Facility No. 24/2014 dated 08.12.2014 and Preventive circular No. 17/2014 dated 21.11.14 issued in relation to To and Fro movement of export/import containers to ICTT Vallarpadam from/to Azhikkal/Kollam/other minor ports- Reg.

समुद्री रास्ते से अन्य बंदरगाहों से कोचिन में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे निर्यात कंटेनरों की निकासी के बारे में निवारक परिपत्र सं. 17/2014 दिनांक 21.11.2014 और व्यापार सुविधा सं. 24/2014 दिनांक 08.12.2014 के तहत दो अनुदेश जारी किए गए थे।

Two instructions were issued regarding procedure for clearance of export containers being transported to Cochin by sea from other ports vide Preventive circular No. 17/2014 dated 21.11.2014 and the Trade facility No. 24/2014 dated 08.12.2014.

एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त दोनों अनुदेश अलग-अलग हैं और व्यापारी, समुद्री रास्ते से छोटे बंदरगाहों से कोचिन लाए जाने वाले कंटेनरों में रखे कारगो के निर्यात के लिए उपर्युक्त अनुदेशों में से किसी एक का अनुसरण कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां कंटेनरों की विस्तृत जांच की आवश्यकता हो, ऐसे मामलों में निर्यातक/आयातक अपनी सुविधानुसार कोई भी कंटेनर फ्राइट स्टेशन का विकल्प चुन सकते हैं।

It is hereby clarified that the above mentioned instructions are independent of each other and the trade is free to follow any of the above instructions for export of cargo in containers which are brought to Cochin from minor ports by sea. It is further clarified that in case of need of detailed examination of containers, the importer/exporter can opt for any of the container freights stations as per their convenience.

इसे आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Commissioner.

Sd/-

(वी. पयनियांडी V.PAZHANIYANDI)

उप सीमाशुल्क आयुक्त (नि.)

DEPUTY COMMISSIONER OF CUSTOMS (P)